



प्रेसनोट, दिनांक 15.09.2025
थाना कोतवाली सदर, जनपद
उन्नाव ।

चोरी के माल सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी के माल सहित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 13.09.2025 को आवेदिका श्रीमती अमिता शुक्ला प्रधान शिक्षिका उ०प्रा०वि० मसवासी वि०क्षे० सि०कर्ण थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना पर थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 811/25 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। दिनांक 14.09.2025 को प्र०नि० संजीव कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पांच अभियुक्तगण 01.विशाल पुत्र सालिग्राम निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 02.नन्हा उर्फ राजा पुत्र ब्रजमोहन निवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष 03.सचिन उर्फ लल्लू पुत्र केशन निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 04.अनुराग उर्फ गोलू पुत्र छत्रपाल निवासी बिलसी रऊ करना थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष को 05.दीपेश पुत्र प्रकाश निवासी पड़री निबरना थाना अचलगंज उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष को चोरी के सामान दो अदद सिलेण्डर इण्डेन व दो अदद भगोना सफेद धातु तथा 70 अदद स्टील थाली खानेदार सहित मगरवारा से आगे नाले की पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

नाम पता अभियुक्त-

- 1.विशाल पुत्र सालिग्राम निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष
- 2.नन्हा उर्फ राजा पुत्र ब्रजमोहन निवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
- 3.सचिन उर्फ लल्लू पुत्र केशन निवासी मसवासी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

- 4.अनुराग उर्फ गोलू पुत्र छत्रपाल निवासी बिलसी रऊ करना थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
5.दीपेश पुत्र प्रकाश निवासी पड़री निबरना थाना अचलगंज जिला उन्नाव उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी-

दो अदद सिलेण्डर इण्डेन व दो अदद भगोना सफेद धातु तथा 70 अदद स्टील थाली खानेदार

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 393/24 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली उन्नाव (नन्हा उर्फ राजा)

मु0अ0सं0 504/22 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव (सचिन उर्फ लल्लू)

मु0अ0सं0 599/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली उन्नाव (सचिन उर्फ लल्लू)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 संजीव कुमार

उ0नि0 अरविन्द पाण्डेय

हे0का0 विजय शर्मा

का0 प्रवीण कुमार

का0 हरिओम सिंह

हेमन्त कुमार

का0 विनीत गिल

का0 अंकेश यादव





प्रेसनोट, दिनांक 15.09.2025
थाना मौरावा, जनपद उन्नाव ।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावा पुलिस द्वारा अभियुक्त को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 14.09.2025 को उ०नि० श्री अमरेश सिंह सोड़ी मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ग्राम संजर खेडा थाना मौरावा जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद कर ग्राम अकोहरी रोड से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 536/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

इमरान पुत्र अब्दुल लतीफ नि० ग्राम संजर खेडा थाना मौरावा जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण-

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 009/2016 धारा 5/8 गोवध निवारण अधि०
2. मु०अ०सं० 123/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि०
3. मु०अ०सं० 380/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि०
4. मु०अ०सं० 535/2020 धारा 323/504/506 आईपीसी
5. मु०अ०सं० 282/2022 धारा 504/506 आईपीसी
6. मु०अ०सं० 241/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
7. मु०अ०सं० 121/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० श्री अमरेश सिंह सोड़ी
- 2.हे० कां० मनीष कुमार राय
- 3.कां० विजय सोलंकी

